5/3/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन परीक्षण कर दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Purshotam Meena
Date: 2021.03.10 11:31:22 IST
Reason: SelfAttested